

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थरी-अ/34848/2017 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये थे :—

"राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(T) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calander year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months." आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलेण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश को राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागो (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कैलेण्डर वर्ष 01 जूलाई से 30 जून तक रहेगा।

विभाग में कार्यरत परीवीक्षाधीन शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों के लिए वर्ष के सम्बन्ध में राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट.1 के तत्सम्बन्धी प्रावधान समान रूप से लागू है।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थरी-अ/34848/2017

दिनांक: 04.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करनें हेतु।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर